

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमति शकुंतला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

सतवीर सिंह पुत्र जयपाल सिंह बनाम 1. जयपाल सिंह पुत्र नयन सिंह } जाति-जाट
जाति जाट निवासी - डोभी 2. दिनेश कुमार पुत्र जयपाल सिंह } नि. डोभी
3. मूर्ति पुत्री जयपाल सिंह }
दावा बाबत :- 8.8 RT Act 4. SBI शाखा बस स्टैण्ड भादरा
मुकदमा नम्बर :- 198/2021 5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार भादरा
निर्णय दिनांक :- 26/11/2021

वादी की ओर से वकील.....की व प्रतिवादीगण की ओर से

वकील.....की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख.....को
मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश
दिया जाता है कि रोही मौजा चक 12 BHD के सु. न. 22 के किलान. 7, 11 ता
14, 17 ता 24, सु. न. 23 के किलान. 14 ता 17, सु. न. 26 के किलान.
1 ता 4, 9 ता 12, 19 ता 23, इस प्रकार कुल किता 30 की कुल 7.3740
हैक्टियर नहरी मय रास्ता खाला प्रतिवादी संख्या 1 जयपाल सिंह
के नाम 1.5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि
में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की बहिस्सा बराबर
के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि भूमि
बैंक के रहन दर्ज है तो रहन मुक्त होने पर उपरोक्तानुसार
राजस्व रिकॉर्ड में अमल करामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी) RAS
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़
पन्ना (जिला-हनुमानगढ़)